

**राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018**  
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन, चिकित्सा की उक्त पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बोर्ड" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित और गठित राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "इलेक्ट्रोपैथी" से स्पेजाइरिकल कोहोबेशन (बार-बार आसवन) की विधि, जिसमें पादपों की जीवन शक्ति को सूक्ष्म, व्यापक स्वरूप में एकत्रित किया जाता है और जड़ी-बूटियों के अर्क को खोजा जाता है, द्वारा तैयार औषधियों द्वारा रोगों के इलाज पर आधारित उन्नीसवीं सदी में इटली के डॉ. काउंट सिसेर मतेई द्वारा स्थापित चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसमें उसका अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ङ) "व्यवसायी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय करता है;

(च) "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" से बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रोपैथी की अर्हताओं में से कोई अर्हता अभिप्रेत है;

(छ) "रजिस्टर" से धारा 28 के अधीन संधारित इलेक्ट्रोपैथों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई इलेक्ट्रोपैथ व्यवसायी अभिप्रेत है;

(झ) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

## अध्याय 2

### बोर्ड की स्थापना और गठन

**3. बोर्ड की स्थापना.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड स्थापित करेगी जिसका नाम राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड होगा।

(2) इस प्रकार स्थापित बोर्ड शाश्वत् उत्तराधिकार रखने वाला एक निगमित निकाय होगा जिसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

**4. बोर्ड का गठन.-** बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित चार व्यक्ति जिनमें कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ होंगे;

(ख) मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रोपैथी संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित हो;

(ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और नामनिर्देशित बोर्ड के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रोपैथी के क्षेत्र में से दो विशेषज्ञ।

**5. अध्यक्ष.-** बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जायेगा।

**6. सदस्यों की पदावधि.-** (1) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उस तारीख से, जिसको धारा 4 के अधीन उसके नामनिर्देशन या, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात्, बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित होती है, तीन वर्ष होगी:

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी पदावधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि तक और बढ़ा सकेगी।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यदि लोक हित में ऐसा करना उचित समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, बोर्ड के किसी सदस्य की सामान्य या बढ़ायी गयी पदावधि को समाप्त कर सकेगी।

(3) कोई पदमुक्त अध्यक्ष या सदस्य, यदि अन्यथा अर्हित हो पुनर्निर्वाचन या, यथास्थिति, पुनःनामनिर्देशन का पात्र होगा।

**7. प्रथम बोर्ड का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना.-** धारा 4 और धारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् गठित प्रथम बोर्ड के (अध्यक्ष सहित) सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे और उसके गठन से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, बोर्ड की पदावधि को कुल मिला कर एक वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि के लिए और बढ़ा सकेगी।

**8. पद-त्याग.-** (1) अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, किसी भी समय, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से, जिसको अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है, प्रभावी होगा।

(2) अध्यक्ष, किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से, जिसको राज्य सरकार द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है, प्रभावी होगा।

**9. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-** यदि बोर्ड के किसी सदस्य या अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है या किसी भी कारण से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपना पद खाली करता है या वहां से हटा दिया जाता है तो इस प्रकार हुई रिक्ति

को ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो विहित की जाये, नये नामनिर्देशन या, यथास्थिति, निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।

**10. पद की रिक्ति.-** यदि कोई सदस्य उस कालावधि के दौरान जिसके लिए वह नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है,-

(क) स्वयं को बोर्ड की क्रमवर्ती तीन साधारण बैठकों में बिना कारण के अनुपस्थित रखता है, या

(ख) धारा 17 में वर्णित निरहताओं में से किसी के अध्यक्षीन हो जाता है,

तो बोर्ड उसके पद को रिक्त हुआ घोषित कर सकेगा:

परन्तु जब बोर्ड इस धारा के अधीन कार्रवाई करना प्रस्तावित करता है तो संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा और जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो उसके कारणों को अभिलेख पर रखा जायेगा।

**11. पद से हटाया जाना.-** (1) राज्य सरकार ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकेगी जिसने, उसकी राय में, अपने पद का किसी भी रीति से इस प्रकार घोर दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बना रहना लोक हित में अहितकारी हो गया है या जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में अभ्यस्ततः विफल रहने का दोषी रहा है:

परन्तु जब राज्य सरकार इस धारा के अधीन कार्रवाई करना प्रस्तावित करती है तो वह अध्यक्ष या सदस्य को उसके ऐसे आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर देगी जिसके कारण कि उसे हटाना प्रस्तावित किया गया है, ऐसी जांच करेगी जो वह आवश्यक समझे और ऐसी कार्रवाई करने की दशा में, उसके कारणों को अभिलेख पर रखेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे किसी सदस्य या अध्यक्ष को, जिसके विरुद्ध सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसके पद का दुरुपयोग करने संबंधी कोई जांच, उसके समक्ष या किसी न्यायालय में लम्बित है, या राज्य सरकार या बोर्ड के आदेशाधीन है, उक्त विधिक कार्यवाही या, यथास्थिति, जांच पर अंतिम आदेश पारित किये जाने तक निलम्बित कर सकेगी। ऐसा सदस्य या अध्यक्ष निलम्बन की कालावधि के दौरान बोर्ड की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

**12. अध्यक्ष के कर्तव्य.-** अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाये या युक्तियुक्त कारणों से निवारित नहीं किया जाये-

(i) बोर्ड की समस्त बैठकें आयोजित करे और उनकी अध्यक्षता करे, और

(ii) इस निमित्त बनाये जाने वाले किन्हीं भी विनियमों के अनुसार बोर्ड की समस्त बैठकों में कारबार के संव्यवहार का नियंत्रण करे;

(ख) बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन का अधीक्षण और नियंत्रण करे तथा उसमें के किन्हीं दोषों की ओर उसका ध्यान दिलाये; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जिनकी उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा या अधीन अपेक्षा की गयी है या जो उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

**13. रिपोर्ट आदि की अपेक्षा करने की बोर्ड की शक्ति.-** (1) बोर्ड, अध्यक्ष से, उसे-

(क) बोर्ड के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान, आंकड़े या अन्य सूचना;

(ख) ऐसे किसी भी मामले पर रिपोर्ट या स्पष्टीकरण; और

(ग) ऐसे किसी भी अभिलेख, पत्राचार, योजना या अन्य दस्तावेज, जो अध्यक्ष के रूप में उसके कब्जे में या नियंत्रणाधीन है या जो बोर्ड के किसी भी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या फाइल किया गया है, की प्रतिलिपि,

प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष उप-धारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक अपेक्षा का कोई अयुक्तियुक्त विलम्ब किये बिना अनुपालन करेगा।

**14. अध्यक्ष द्वारा अपनी शक्तियाँ और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन.-** (1) अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, धारा 15 के अधीन निर्वाचित बोर्ड के किसी सदस्य को, अपने नियंत्रण के अधीन

किसी एक या अधिक शक्तियों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग करने हेतु सशक्त कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अध्यक्ष द्वारा किसी आदेश में ऐसे सदस्य द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग, किसी कर्तव्य का पालन या किसी कृत्य का निर्वहन किये जाने के संबंध में, कोई भी शर्त रखी जा सकेगी और कोई भी निर्बंधन अधिरोपित किये जा सकेंगे।

(3) विशिष्ट रूप से ऐसे आदेश में यह शर्त रखी जा सकेगी कि उप-धारा (1) द्वारा उसको प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी आदेश, अध्यक्ष द्वारा, उसको किसी विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अपील की जाने पर, विखण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा।

**15. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के कर्तव्य.-** बोर्ड के सदस्यों द्वारा, उनमें से निर्वाचित कोई व्यक्ति-

(क) अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के दौरान या अध्यक्ष की अक्षमता या अस्थायी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष के किसी भी अन्य कर्तव्य का पालन या किसी भी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा; और

(ख) किसी भी समय, जब अवसर आये, धारा 14 के अधीन अध्यक्ष द्वारा उसको प्रत्यायोजित किसी भी कर्तव्य का पालन और शक्ति का प्रयोग करेगा।

**16. निर्वाचन के व्यतिक्रम में सदस्यों का नामनिर्देशन.-** यदि धारा 4 में निर्दिष्ट कोई निर्वाचक निकाय, ऐसी तारीख तक, जो विहित की जाये, किसी सदस्य का निर्वाचन करने या किसी रिक्ति को भरने में, विफल रहता है तो राज्य सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर ऐसी रिक्ति ऐसे निर्वाचन निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन द्वारा भरेगी।

**17. सदस्यता के लिए निरर्हताएं.-** कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नामनिर्देशित या निर्वाचित किये जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि-

(क) वह किसी न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या जो बोर्ड की राय में, चरित्र का ऐसा कोई दोष बताता है जिससे कि रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि या

उसका उसमें बने रहना अवांछनीय बन जायेगा और दण्डादेश, बाद में अपील या पुनरीक्षण में उलट नहीं दिया गया है या ऐसे किसी आदेश द्वारा, जिसे करने के लिए राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सशक्त है, परिहार नहीं किया जा चुका है;

(ख) बोर्ड ने जांच के पश्चात् (जिसमें ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा में या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया गया है) बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से, उसे उसकी वृत्ति के संबंध में, कुत्सित आचरण का दोषी पाया है;

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित अधिनिर्णीत किया गया है;

(ङ) वह राज्य सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदच्युत सेवक है;

(च) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित किया गया है;

(छ) वह बोर्ड के दान या निर्वर्तन के अंतर्गत कोई लाभ का स्थान धारण करता है;

(ज) विधि-व्यवसायी की हैसियत से, वह बोर्ड के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही, सिविल या आपराधिक, में उपसंजात होता है; या

(झ) उसने बोर्ड के साथ या उसकी ओर से किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, स्वयं या किसी भागीदार द्वारा कोई भी अंश या हित अर्जित किया है।

**18. निर्वाचन आदि की अधिसूचना.-** इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित या नामनिर्देशित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष का और ऐसे प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष का नाम, जिसने धारा 8 के अधीन पद त्याग कर दिया है या धारा 10 के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया है या धारा 11 के अधीन उसे हटा दिया गया है, राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

**19. भत्तों का संदाय.-** बोर्ड के सदस्यों को ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो विहित किये जायें।

**20. बोर्ड की बैठकें.-** (1) बोर्ड की बैठक उसके जयपुर स्थित कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में और ऐसे समय पर होगी, और प्रत्येक बैठक ऐसी रीति से आयोजित की जायेगी जो बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंधित की जाये।

(2) बोर्ड की किसी बैठक में, जब तक चार सदस्य उपस्थित न हों, कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जायेगा।

**21. बैठक का अध्यक्ष.-** यदि किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उक्त बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और ऐसा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते समय, बोर्ड के अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

**22. बैठक के अध्यक्ष की व्यवस्था बनाये रखने की शक्ति.-** जहां, बोर्ड की किसी बैठक में कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति, किसी भी कार्य या मामले को नियम-बाह्य बताते हुए या सदस्यों या कार्य के आचरण को अन्यथा विनियमन करते हुए अध्यक्ष के किसी निदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या जहां कोई सदस्य या व्यक्ति जानबूझकर बैठक में विघ्न डालता है तो अध्यक्ष उस सदस्य या व्यक्ति से उक्त बैठक से वापस जाने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने में लोप करने की दशा में उसे बैठक से हटाने और अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए उसके विरुद्ध ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो या जिसके आवश्यक होने का वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो।

**23. बोर्ड द्वारा विनिश्चय.-** (1) इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, समस्त प्रश्न, जो बोर्ड की बैठक के समक्ष आयें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे।

(2) मत बराबर होने की दशा में बैठक का अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत दे सकेगा।

**24. कार्यवृत्त पुस्तक और संकल्प.-** (1) बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम और उसमें की गयी कार्यवाहियां और पारित



किये गये संकल्प पुस्तिका में प्रविष्ट किये जायेंगे जिसे कार्यवृत्त पुस्तक कहा जायेगा।

(2) कार्यवृत्त बैठक में या उसकी ठीक अनुवर्ती बैठक में पढ़ कर सुनाया जायेगा और पढ़ कर सुनाये जाने के समय उपस्थित सदस्यों द्वारा या उनके बहुमत से उसके सही होने के रूप में पारित किये जाने के पश्चात् उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया है, के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से यथापारित प्रमाणित किया जायेगा।

(3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की प्रति बैठक की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी।

**25. सलाहकार समिति की स्थापना.-** (1) बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम में उपबंधित किसी प्रयोजन के लिए इस निमित्त संकल्प द्वारा सात व्यक्तियों से गठित सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगा जिसमें बोर्ड के तीन सदस्य होंगे और चार सहयोजित सदस्य होंगे तथा संयोजक नियुक्त कर सकेगा जो ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, संयोजक की अनुपस्थिति में समिति अपने सदस्यों में से किसी एक को इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित कर सकेगी।

(2) समिति की बैठक में समस्त प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(3) समिति की किसी बैठक में जब चार से कम सदस्य उपस्थित हों तो कोई कारबार संव्यहृत नहीं किया जायेगा।

(4) समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी, जो उन पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(5) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों का संदाय किया जायेगा जो धारा 19 के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेय हों।

**26. कार्यवाहियों की विधिमान्यता.-** (1) बोर्ड में या बोर्ड की किसी समिति में कोई भी रिक्ति बोर्ड या ऐसी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाहियों को दूषित नहीं करेगी।

(2) बोर्ड के सदस्यों के रूप में या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या किसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की कोई निरर्हता या उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही को, जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, दूषित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

### अध्याय 3

#### कर्मचारिवृन्द और रजिस्ट्रीकरण

**27. बोर्ड का रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी और सेवक.-** (1) राज्य सरकार बोर्ड का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी।

(2) रजिस्ट्रार बोर्ड का सचिव और कार्यकारी अधिकारी होगा।

(3) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उतने अन्य अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की संख्या, पदनाम, वेतन और भत्तों, भर्ती, पदोन्नतियों, छुट्टी, भविष्य-निधि और सेवा की अन्य शर्तों संबंधी समस्त प्रश्न राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा शासित होंगे।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और किसी भी अन्य अधिकारी या सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

**28. रजिस्ट्रार का संधारण.-** (1) प्रथम बोर्ड, अपने गठन के डेढ़ वर्ष के भीतर इलेक्ट्रोपैथों का रजिस्ट्रार तैयार करेगा।

(2) उक्त रजिस्ट्रार बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से रखा और संधारित किया जायेगा जो विहित की जाये।

**29. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.-** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन और राज्य सरकार या बोर्ड के किन्हीं भी सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यक्षीन, रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त रजिस्ट्रार रखे और उसे संधारित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जिनका उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन निर्वहन करना अपेक्षित है।

(2) रजिस्ट्रार, उक्त रजिस्टर को यथासाध्य शुद्ध और अद्यतन रखेगा और संधारित करेगा और समय-समय पर उसमें रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथों के पते या उनकी अर्हताओं में किन्हीं भी सारभूत परिवर्तनों को प्रविष्ट करेगा। वह रजिस्टर में से ऐसे रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथों के नाम भी हटायेगा जिनकी मृत्यु हो जाये या जो उक्त रूप में अर्ह न रहें।

**30. रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार व्यक्ति.-** (1) मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके द्वारा निपटाया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ किया जायेगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाये।

(4) किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिवस या ऐसे बढ़ाये गये समय, जो बोर्ड पर्याप्त कारण से अनुज्ञात करे, के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(5) ऐसी अपील बोर्ड द्वारा विहित रीति से सुनी और विनिश्चित की जायेगी।

(6) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर और संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगने और उस पर विचार करने के पश्चात् रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा, यदि बोर्ड की राय में उक्त प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलती से कर दी गयी है या अभिप्राप्त की गयी है।

**31. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.-** (1) प्रत्येक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोपैथ उस तारीख, जिसको उसका नाम रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से तीन वर्ष की कालावधि के लिए चिकित्सा व्यवसाय करने का हकदार होगा और यदि वह उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् चिकित्सा व्यवसाय करने का इच्छुक है तो वह प्रत्येक तीन वर्ष की कालावधि के लिए विहित नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर अपने नाम को रजिस्टर में बनाये रखने का हकदार होगा।

(2) यदि नवीकरण फीस नियत तारीख से पूर्व संदत नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार व्यतिक्रमी का नाम रजिस्टर में से हटा देगा:

परन्तु इस प्रकार हटाया गया नाम ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन, जो विहित की जायें, नवीकरण फीस का संदाय करने पर रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा।

**32. रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए उपाधि आदि को मान्यता प्रदान करने की बोर्ड की शक्ति.-** यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि भारत में या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्था, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गयी कोई उपाधि या प्रमाणित अर्हता इसके लिए पर्याप्त प्रत्याभूति है कि ऐसी उपाधि, अर्हता रखने वाले व्यक्ति दक्षतापूर्वक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल रखते हैं तो वह ऐसी उपाधि या अर्हता को मान्यता दे सकेगा।

**33. बोर्ड की संस्थाओं से सूचना की अपेक्षा करने की शक्ति.-** बोर्ड को मान्यताप्राप्त या मान्यता के इच्छुक किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्था, परीक्षण निकाय या अन्य संस्था के शासी-निकाय या प्राधिकारी से-

(क) ऐसी रिपोर्ट, विवरणी या अन्य सूचना देने, जो बोर्ड, इलेक्ट्रोपैथी में दिये जाने वाले अनुदेशों की दक्षता के निर्वचन में उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षा करे; और

(ख) बोर्ड के किसी सदस्य को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया जाये, ऐसे विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्था, परीक्षण-निकाय या अन्य संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए समर्थ बनाने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने,

की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

**34. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदकों से अपेक्षित सूचना.-** प्रत्येक व्यक्ति को, जो रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन करता है, रजिस्ट्रार का यह समाधान करना होगा कि वह चिकित्सा अर्हता धारण करता है और उसे रजिस्ट्रार को ऐसी तारीख सूचित करनी होगी, जिसको उसने ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की और इस अधिनियम के

अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेगा।

**35. नयी उपाधियाँ और अर्हताओं की प्रविष्टि.-** यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, ऐसी उपाधि या अर्हता, जिसके संबंध में वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि या अर्हता अभिप्राप्त करता है तो वह ऐसी फीस, जो विहित की जाये, संदत्त करने पर रजिस्टर में अपने नाम के सामने, या तो पहले की गयी किसी प्रविष्टि का प्रतिस्थापन करते हुए या उसमें परिवर्धन करते हुए, ऐसी अन्य उपाधि या अर्हता बताने वाली प्रविष्टि करवाने का हकदार होगा।

**36. बोर्ड की रजिस्टर में प्रविष्टि प्रतिषिद्ध करने या उसमें से प्रविष्टि हटाने का निदेश देने की शक्ति.-** (1) बोर्ड रजिस्टर में ऐसे किसी इलेक्ट्रोपैथ के नाम की प्रविष्टि प्रतिषिद्ध कर सकेगा या उसमें से उसे हटाने का आदेश दे सकेगा-

(क) जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ऐसी नैतिक अधमता अंतर्वलित होना घोषित किया गया है जो उक्त रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि को या उसमें उसका नाम बनाये रखने को अवांछनीय बना दे, कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है; या

(ख) जिसे बोर्ड या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड की किसी समिति ने, जांच के पश्चात्, जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का और स्वयं या परामर्शी के जरिये उपस्थित होने का अवसर दिया गया है और जो बोर्ड के स्वविवेकानुसार बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से वृत्तिक अवचार या अन्य कुत्सित आचरण का दोषी पाया है; या

(ग) जिसे बोर्ड या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित बोर्ड की समिति ने, जांच के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह पाया है कि उसने कपटपूर्वक या मिथ्या या कूटरचित या गलत दस्तावेज द्वारा या दुर्व्यपदेशन के आधार पर या प्रवचनापूर्ण उपयोग द्वारा और बेईमानी द्वारा रजिस्ट्रीकरण करवाया है।

(2) किसी व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन आदेश किया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष पश्चात् रजिस्टर में प्रविष्ट या पुनःप्रविष्ट किया जायेगा।

**37. मृत्यु का नोटिस और रजिस्टर से नामों का उद्घर्षण.-** (1) प्रत्येक मृत्यु रजिस्ट्रार, जो ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु का नोटिस प्राप्त करता है जिसका नाम वह जानता है कि रजिस्टर में प्रविष्ट है, ऐसी मृत्यु का अपने द्वारा हस्ताक्षरित, मृत्यु के समय और स्थान की विशिष्टियां देते हुए बोर्ड के रजिस्ट्रार को डाक द्वारा प्रमाण-पत्र तत्काल पारेषित करेगा।

(2) ऐसे प्रमाण-पत्र या ऐसी मृत्यु संबंधी अन्य विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड रजिस्टर में से मृत व्यक्ति का नाम हटा देगा।

**38. रजिस्टर में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन.-** (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष और समय-समय पर, जैसे अवसर अपेक्षित करें, बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत की जाने वाली किसी तारीख को या उसके पूर्व राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो बोर्ड विहित करे, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट किये गये नामों की वर्ण क्रमानुसार एक पूरी या अनुपूरक सूची प्रकाशित करायेगा, जिसमें-

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रीकृत पता और उसके द्वारा धारित नियुक्ति या वास्तविक नियोजन, और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रीकृत उपाधियां और अर्हताएं और ऐसी तारीख जिसको ऐसी प्रत्येक उपाधि प्रदान की गयी थी या अर्हता प्रमाणित की गयी थी,

उपवर्णित होगी:

परन्तु रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ के नाम, जिनके नाम इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन रजिस्टर में से सम्यक् रूप में हटाये जा चुके हैं, राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारित किया जायेगा कि उक्त सूची में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसका नाम रजिस्टर में सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् प्रविष्ट किया गया है, रजिस्टर में उक्त व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और ऐसा प्रमाण-पत्र निःशुल्क जारी किया जायेगा।

#### अध्याय 4

#### बोर्ड के कृत्य और वित्त साधन

**39. बोर्ड की शक्तियां.-** बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(i) इलेक्ट्रोपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और संबद्ध करना;

(ii) बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में इलेक्ट्रोपैथी की ऐसी शाखाओं में, जो बोर्ड विहित करे, सामान्य अनुदेश अथवा विशेष या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित करना;

(iii) परीक्षाएं करवाना, और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र मंजूर करना जो बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में, जो बोर्ड उचित समझे, अध्ययनरत रहे हैं;

(iv) प्रदर्शनियां लगाना और उनमें पदक देना, ऐसे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति और पदक मंजूर करना जो बोर्ड की परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं या जो निर्धन और योग्य हैं, और राज्य सरकार की स्वीकृति से किसी ऐसी चिकित्सा-संस्था या ख्यातिप्राप्त फर्म में, जिन्हें बोर्ड ठीक समझे, अनुसंधान कार्य में विशेष अध्ययन और इलेक्ट्रोपैथिक की औषधियों के विनिर्माण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना, और बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में इलेक्ट्रोपैथी संबंधी चैयरो के लिए विन्यास करना;

(v) विद्यार्थियों से ऐसी फीस की मांग करना और उसे प्राप्त करना जो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए विहित की जाये;

(vi) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किये गये आवास और अनुशासन संबंधी इंतजामों का सामान्य अधीक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और साधारण कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए ऐसे इंतजाम करना जो बोर्ड द्वारा विहित किये जायें;

(vii) परीक्षकों की नियुक्ति करना और अपने द्वारा ली गयी परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रकाशित करना, जो बोर्ड विहित करे;

(viii) ऐसी किसी संस्था की मान्यता को निलम्बित या प्रत्याहृत करना जो इस अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों या विनियमों द्वारा विहित शर्तों के अनुसार संचालित नहीं किया जाता है:

परन्तु ऐसी कोई भी कार्रवाई ऐसी शैक्षिक संस्था की समिति या प्रबंध को ऐसा अभ्यावेदन, जो वह ठीक समझे, करने का अवसर दिये बिना, नहीं की जायेगी;

(ix) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से राज्य में इलेक्ट्रोपैथिक औषधालयों, अस्पतालों और शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करना;

(x) इलेक्ट्रोपैथी विज्ञान में अध्ययन को प्रोन्नत करना और इलेक्ट्रोपैथिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना;

(xi) राज्य में इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के वैज्ञानिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान संस्थाओं को स्थापित करना या अनुसंधान संस्थाओं को सहायता देना;

(xii) ऐसी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों और उत्पादों के विनिर्माण का अनुज्ञापन, गुणवत्ता और नियंत्रण प्राधिकारी होना, जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाये;

(xiii) ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों और जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(xiv) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थायी या तदर्थ समितियों को, उनकी शक्तियों और अनुदेशों को



प्रत्यायोजित करने के लिए, किसी निर्बंधन के अध्यक्षीन रहते हुए, नियुक्त करना और ऐसी समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अवधारित करने के लिए विनियम बनाना।

**40. बजट.-** (1) बोर्ड, प्रतिवर्ष होने वाली बैठक में ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाये, ऐसी तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के वास्तविक और प्राक्कलित प्राप्तियों का पूर्ण लेखा, आगामी 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए बोर्ड की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन सहित, तैयार करायेगा और अपने समक्ष प्रस्तुत करायेगा।

(2) बोर्ड ऐसी बैठक में बजट प्राक्कलन में अंतर्विष्ट विनियोगों और मार्गोपायों पर विनिश्चयन करेगा और बजट पारित करेगा जो राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसका राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे ऐसी बैठक, जिसमें बजट पारित किया गया है, की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि उसमें इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं किया गया है तो उसे ऐसे उपान्तरणों के सुझाव देने में, जो उक्त उपबंध किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों के विषय में अपने संप्रेक्षणों सहित, बजट वापस करने की शक्ति प्राप्त होगी। बोर्ड उक्त संप्रेक्षणों पर विचार करेगा और बजट को ऐसे उपान्तरणों सहित, जो वह आवश्यक समझे, पारित करेगा।

(4) यदि किसी वर्ष के अनुक्रम में बोर्ड, बजट में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपनी प्राप्तियों या व्यय की जाने वाली रकमों के वितरण के संबंध में दर्शाये गये अंकों को उपान्तरित करना आवश्यक पाये तो उप-धारा (1), (2) और (3) में उपबंधित रीति से अनुपूरक बजट तैयार, पारित, प्रस्तुत और उपान्तरित किया जा सकेगा।

(5) प्रतिवर्ष प्रथम अक्टूबर के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, वर्ष का पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायेगा और उक्त पुनरीक्षित बजट, यथाशक्य, पूर्वगामी उप-धाराओं के उन समस्त उपबंधों के अध्यक्षीन होगा, जो बजट पर लागू होते हैं।

**41. इलेक्ट्रोपैथिक निधि.-** (1) इलेक्ट्रोपैथिक निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे इसमें इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है।

(2) उक्त निधि में-

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और उधार;

(ख) बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रोपैथों के रजिस्ट्रीकरण और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश देने के मदध प्राप्त समस्त फीस;

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी इलेक्ट्रोपैथिक संगम से प्राप्त अंशदान; और

(घ) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती खण्डों में वर्णित स्रोतों से भिन्न स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियां,

जमा की जायेंगी।

(3) उक्त निधि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उपयोजित की जायेगी।

(4) बोर्ड के खर्चों में रजिस्ट्रार और बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त फीसों और भत्ते, परीक्षाओं के संचालनार्थ खर्च और ऐसे अन्य खर्च, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक हैं, सम्मिलित होंगे।

**42. लेखे और संपरीक्षा.-** (1) बोर्ड ऐसे लेखे रखेगा और राज्य सरकार को ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जो विहित किये जायें।

(2) बोर्ड की प्राप्तियां और व्यय के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जायें, संधारित किये जायेंगे।

(3) बोर्ड द्वारा रखे गये और संधारित किये गये समस्त लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य के परीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंध लागू होंगे।

(4) बोर्ड ऐसे समस्त निदेशों का अनुपालन करने हेतु बाध्य होगा जो राज्य सरकार, उसके लेखों के संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट देखने के पश्चात् जारी करना उचित समझे।

(5) बोर्ड निधि में से ऐसी राशि संदत्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा संपरीक्षा प्रभारों के रूप में अवधारित की जाये।

## अध्याय 5

### इलेक्ट्रोपैथ के विशेषाधिकार

**43. इलेक्ट्रोपैथ के विशेषाधिकार.-** मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रोपैथ के व्यवसाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अधिकथित शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय प्रवृत्त रजिस्टर में रखा जाता है, राज्य के किसी भाग में, उसकी अर्हता के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी का व्यवसाय करने के लिए हकदार होगा और ऐसे व्यवसाय के संबंध में विधि के सामान्य अनुक्रम में औषधि द्रव्यों या अन्य साधित्रों के लिए कोई व्यय या प्रभार या कोई फीस, जिसके लिए वह हकदार हो, वसूल कर सकेगा किन्तु वह अपने नाम के साथ शब्द 'चिकित्सक' या 'चि.' का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

## अध्याय 6

### प्रकीर्ण

**44. बोर्ड के विनिश्चयों की राज्य सरकार को अपील.-** (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रत्येक विनिश्चय की अपील राज्य सरकार को हो सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे विनिश्चय, जिसकी अपील की जानी है, की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर की जायेगी।

**45. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड का नियंत्रण.-** यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में विफल रहा है या उसका अधिलंघन या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है तो, राज्य सरकार यदि यह समझे कि ऐसी विफलता, अधिलंघन या दुरुपयोग गंभीर प्रकृति का है, बोर्ड को उसकी विशिष्टियां अधिसूचित कर सकेगी और यदि बोर्ड ऐसी विफलता, अधिलंघन या दुरुपयोग का, ऐसे समय के

भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जाये, उपचार करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, बोर्ड को विघटित कर सकेगी और बोर्ड की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ऐसे किसी प्रशासक या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा और ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, करवा सकेगी:

परन्तु ऐसे विघटन से डेढ़ वर्ष के भीतर-भीतर नये बोर्ड का गठन किया जायेगा।

**46. रजिस्ट्रीकृत व्यपदिष्ट करने वाले अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए शास्ति.-** यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है, मिथ्या रूप से ऐसा दर्शित करता है कि वह इस प्रकार प्रविष्ट है या अपने नाम या उपाधि के साथ ऐसे कोई शब्द या अक्षर प्रयोग करता है जो यह व्यपदिष्ट करता हो कि उसका नाम इस प्रकार प्रविष्ट है, तो वह चाहे उक्त व्यपदेशन द्वारा कोई व्यक्ति वास्तव में प्रवंचित किया जाता है या नहीं, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**47. अप्राधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रमाणपत्र इत्यादि दिया जाना, प्रदान करना या जारी किया जाना.-** (1) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी संस्था से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसा कोई प्रमाणपत्र या अन्य उपाधि या योग्यता, जिसमें यह कथन किया गया है या विवक्षित है कि उसका धारक, गृहीता या प्राप्तकर्ता, चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का व्यवसाय करने हेतु अर्ह है, नहीं देगा, प्रदान नहीं करेगा या जारी नहीं करेगा या स्वयं को उसे दिये जाने, प्रदान किये जाने या जारी किये जाने करने का हकदार होने के रूप में व्यपदिष्ट नहीं करेगा।

(2) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**48. प्रमाणपत्र इत्यादि की मिथ्या धारणा.-** जो कोई अपने नाम के आगे स्वेच्छा से और मिथ्या रूप से कोई उपाधि, वर्णन या कोई परिवर्धन धारण करता है या उसका प्रयोग करता है जिससे यह विवक्षित होता है कि वह बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया या जारी किया गया कोई

प्रमाणपत्र या अन्य उपाधि या अर्हता धारित करता है या वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का व्यवसाय करने के लिए अर्ह है, तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**49. अधिनियम के उल्लंघन में व्यवसाय करने के लिए शास्ति.-**

यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रोपैथ से भिन्न कोई व्यक्ति, या तो सीधे ही या विवक्षित रूप से, चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का व्यवसाय करता है या स्वयं को इस व्यवसाय को करने या व्यवसाय करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में व्यपदिष्ट करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**50. बोर्ड के अभिलेख के सबूत की रीति.-** बोर्ड के कब्जे में की कार्यवाही की प्रति, रसीद, आवेदन, योजना, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज में की प्रविष्टि, यदि रजिस्ट्रार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो तो वह प्रविष्टि या दस्तावेज प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और उसके साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और वह उसके और उसमें प्रत्येक मामले में अभिलिखित मामलों में जहां और उस सीमा तक साक्ष्यस्वरूप ग्रहण की जायेगी जैसे कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज यदि प्रस्तुत किया गया होता तो ऐसे मामले साबित करने हेतु ग्राह्य होता।

**51. नियम.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित किन्हीं भी मामलों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:-

- (क) वह समय और स्थान जहां पर और वह रीति, जिससे धारा 4 के अधीन निर्वाचन किये जायेंगे;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों का विनियमन;
- (ग) रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) बोर्ड की बैठकों के सही कार्यवृत्तों का संचालन और संधारण;

(ङ) ऐसी रीति जिससे धारा 9 के अधीन रिक्तियां भरी जायेंगी;

(च) बोर्ड द्वारा रखे जाने वाले लेखे और वह रीति जिससे उक्त लेखे संपरीक्षित और प्रकाशित किये जायेंगे;

(छ) वह तारीख जिसके पूर्व बजट पारित करने हेतु बैठक की जायेगी;

(ज) बजट को तैयार करने में अपनायी जाने वाली रीति और प्ररूप;

(झ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली विवरणी, विवरण और रिपोर्ट;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन संधार्य इलेक्ट्रोपैथ के रजिस्टर का प्ररूप;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीसें;

(ठ) वह रीति जिसमें रजिस्ट्रार के विनिश्चयों के विरुद्ध धारा 30 के अधीन बोर्ड द्वारा अपीलों की सुनवाई की जायेगी;

(ड) बोर्ड के सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष को संदेय भत्ते;

(ढ) अध्यक्ष को संदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापन या परीक्षण निकाय के रूप में बोर्ड के किसी उद्देश्य को अग्रसर करना;

(त) इलेक्ट्रोपैथों द्वारा विहित प्ररूप में रोगी रजिस्टर का संधारण;

(थ) राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) धारा 39 के खण्ड (xii) के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा मंजूर करने हेतु आवेदन का प्ररूप तथा उसमें भरी जाने वाली विशिष्टियां;

(ध) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए, अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए शर्तें और उसके लिए संदेय फीस; और

(न) अधिनियम के किन्हीं अन्य उद्देश्यों को अग्रसर करना।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**52. विनियम.-** इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन बोर्ड, निम्नलिखित मामलों का विनियमन करने के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात्:-

(क) वह शर्तें जिन पर संस्थान को मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए संबद्धता या मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ख) बोर्ड से सम्बद्ध शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को प्रमाणपत्र या अन्य पाठ्यक्रम में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और वे प्रमाणपत्र और अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता के लिए पात्र होंगे;

(घ) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों के निवास की शर्तें और ऐसे निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण;

(ङ.) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं और परिलाभ;

(च) ऐसी संस्थाओं में पाठ्यक्रमों के लिए और परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य फीस;

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का संचालन;

(ज) वह समय और स्थान जहां बोर्ड की बैठकें की जायेंगी;

(झ) ऐसी बैठकों को आयोजित करने वाली सूचना जारी करना;

(ण) उक्त बैठकों में कार्य-संचालन;

(ट) बोर्ड की बैठक में सदस्यों द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन, जैसे कि विनियमों में उपबन्धित किये जायें प्रश्न पूछा जाना;

(ड) ऐसे समस्त मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्मित समस्त विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

**53. वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों पर रोक.-** (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी कार्य के बारे में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य या बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक अथवा बोर्ड या बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन विधिपूर्वक एवं सद्भावपूर्वक और युक्तियुक्त सतर्कता एवं ध्यान से की गयी किसी बात के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

**54. व्यावृत्तियां.-** जब तक कि इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से या अन्यथा उपबंधित न हो, इस अधिनियम का कोई उपबंध, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी इलेक्ट्रोपैथ के सिवाय किसी चिकित्सा व्यवसायी पर प्रभावी नहीं होगा।



### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और राज्य में इसके औपचारिक व्यवसाय, अनुसंधान, अध्ययन, अर्हताएं प्रदान करने और अन्य संबंधित क्रियाकलापों को समर्थ बनाने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 प्रस्तावित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रोपैथी पद्धति उन्नीसवीं सदी में इटली के डॉ. काउंट सिसेर मत्तैई द्वारा स्थापित की गयी थी और यह स्पेजाइरिकल कोहोबेशन (बार-बार आसवन) की विधि, जिसमें पादपों की जीवन शक्ति को सूक्ष्म, व्यापक स्वरूप में एकत्रित किया जाता है और जड़ी-बूटियों के अर्क को खोजा जाता है, द्वारा तैयार औषधियों द्वारा रोगों के इलाज पर आधारित है। यह समुचित समझा गया है कि इस पद्धति को मान्यता प्रदान करके आम जनता को इस पद्धति के फायदे मिलने चाहिए और इस पद्धति में व्यवसाय, शिक्षा और अनुसंधान के लिए विनियामक उपबंध भी किये जाने चाहिए।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ]

प्रभारी मंत्री।

laafo/kku ds vuqPNsn 207 ds [k.M ¼3½ ds v/khu

ekuuh; jkT;iky egksn; dh flQkfj'kA

¼izfrfyfi% la[k i- 2¼22½fof/k@2@2018 fnukad

08 ekpZ] 2018

**izs"kd% dkyhpj.k ljkQ] izHkkjh ea=h] izsf"kfr%  
lfpo] jktLFkku fo/kku IHkk] t;iqj<sup>1</sup>/<sub>2</sub>**

Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 207 ds [k.M  
<sup>1</sup>/<sub>4</sub><sup>3</sup>/<sub>2</sub> ds izlax esa] eSa] jktLFkku bysDV<sup>a</sup>ksiSFkh  
fpfdRIk i)fr fo/ks;d] 2018 dks jktLFkku fo/kku IHkk  
esa fopkjFkZ fy;s tkus dh flQkfj'k djrk gw;A

**वित्तीय ज्ञापन**

विधेयक के खण्ड 41 के साथ पठित खण्ड 3, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो इससे राज्य की समेकित निधि से व्यय अंतर्वलित होगा जिसमें 15.80 लाख रुपये का अनवर्ती और 15.93 लाख रुपये का आवर्ती व्यय प्राक्कलित किया गया है।

कालीचरण सराफ]

**प्रभारी मंत्री।**

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में, नियम बनाने के लिए और बोर्ड को विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

### खण्ड

### के संबंध में

#### राज्य सरकार (नियम)

- 9 वह कालावधि, जिसमें किसी सदस्य या अध्यक्ष की रिक्ति नये नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी, विहित करना;
- 16 वह तारीख, जिसको निर्वाचक निकाय किसी सदस्य को चुनने या किसी रिक्ति को भरने में विफल रहता है, विहित करना;
- 19 यात्रा और दैनिक भत्ते, जिनका बोर्ड के सदस्यों को संदाय किया जायेगा, विहित करना;
- 28 वह रीति, जिससे रजिस्टर रखे और संधारित किये जायेंगे, विहित करना;
- 30 वह प्ररूप और रीति, जिससे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ किया जायेगा, विहित करना;
- 31 वह रीति और शर्तें, जिनके अध्यक्षीन नवीकरण फीस का संदाय किया जायेगा, विहित करना;
- 35 वह फीस, जिसके संदाय पर व्यक्ति नयी उपाधियों और अर्हताओं को रजिस्टर में प्रविष्ट करवाने का हकदार है, विहित करना;
- 41 वह रीति, जिससे निधि उपयोजित की जायेगी, विहित करना;
- 42(1) बोर्ड द्वारा लेखे रखने और राज्य सरकार को उसके विवरण प्रस्तुत करने को विहित करना;
- 42(2) वह रीति, जिससे प्राप्तियों और व्यय के लेखे संधारित किये जायेंगे, विहित करना;
- 51 साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना;

#### बोर्ड (विनियम)

- 52 साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित

करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

कालीचरण सराफ]  
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 13 of 2018

**THE RAJASTHAN ELECTROPATHY SYSTEM OF  
MEDICINE BILL, 2018**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

*to provide for the constitution of a Board of Electropathy System of Medicine for the development and expansion of the Electropathy system of medicine in the State of Rajasthan, for the registration of practitioners of that system of medicine and for other matters connected therewith and incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth year of the Republic of India, as follows:-

## CHAPTER I Preliminary

**1. Short title, extent and commencement.**-(1) This Act may be called the Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions .-** In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Board” means the Board of Electropathy System of Medicine for Rajasthan established and constituted under this Act;
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Board;
- (c) “Electropathy” means the system of medicine founded by Dr. Count Cesare Mattei of Italy in the nineteenth century based on treatment of diseases by medicines made by the method of Spagyric Cohobation (repeated distillation) by which the life force of the plants are collected in the form of micro, macro and trace elements of the herbs;
- (d) “member” means a member of the Board and includes the Chairperson thereof;

- (e) “practitioner” means a person who practises the Electropathy system of Medicine;
- (f) “recognised medical qualification” means any of the qualifications in Electropathy recognized by the Board;
- (g) “register” means the register of Electropaths maintained under section 28;
- (h) “registered Electropaths” means a Electropathy practitioner registered under the provisions of this Act;
- (i) “Registrar” means the Registrar appointed under this Act.

## CHAPTER II

### ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF BOARD

**3. Establishment of Board.-** (1) *The State Government shall by notification in the Official Gazette, establish, in the manner provided hereafter, a Board to be called the Rajasthan Board of Electropathy System of Medicine, for the purpose of carrying out the provisions of this Act.*

(2) *The Board so established shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal and may sue or be sued in its corporate name.*

**4. Constitution of the Board.-**The Board shall consist of the following members, namely :

- (a) four persons to be nominated by the State Government of whom at least two shall be registered Electropaths;
- (b) one person possessing recognized medical qualification to be elected by the teachers of the recognized Electropathy institutions in State of Rajasthan;
- (c) two experts in the field of Electropathy to be nominated by members of the Board elected and nominated under clauses (a) and (b).

**5. Chairperson.-** The Chairperson of the Board shall be nominated by the State Government from amongst the members of the Board.

**6. Term of office of members.-** (1) The term of office of a member of the Board shall be three years from the date on which the first meeting of the Board is held after their nomination or, as the case may be, election under section 4:

Provided that the State Government may from time to time extend such term to any further period not exceeding in the aggregate one year.

(2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the State Government, if it thinks fit in public interest so to do, may, at any time by a notification in the Official Gazette terminate the normal or extended term of office of any member of the Board.

(3) An out-going Chairperson, or member, if otherwise qualified, shall be eligible for re-election or re-nomination, as the case may be.

**7. First Board to be nominated by the Government.-** Notwithstanding anything contained in section 4 and section 5, members of the first Board (including the Chairperson) constituted after the commencement of this Act shall be nominated by the State Government and shall hold office for a period of three years from its constitution :

Provided that the State Government may from time to time extend the term of office of the Board to any further period not exceeding in aggregate one year.

**8. Resignation.-**(1) Any member other than the Chairperson may at any time resign his office by a letter addressed to the Chairperson and such resignation shall take effect from the date on which resignation is accepted by the Chairperson.

(2) A Chairperson may at any time resign from his office by a letter addressed to the State Government and such resignation shall take effect from the date on which resignation is accepted by the State Government.

**9. Filling of casual vacancies.-**If a member or Chairperson of the Board dies or resigns or from any cause whatsoever, in



accordance with the provision of this Act, vacates his office or is removed therefrom, the vacancy so caused shall be filled by fresh nomination or, as the case may be, election within such period as may be prescribed.

**10. Vacation of Office.**-If any member during the period for which he has been nominated or elected,-

- (a) absents himself without cause from three consecutive ordinary meetings of the Board, or
- (b) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 17,

the Board may declare his office to have become vacant:

Provided that when the Board proposes to take action under this section an opportunity of explanation shall be given to the member concerned and, when such action is taken, the reasons therefor shall be placed on record.

**11. Removal from Office.**- (1)The State Government may remove a Chairperson or member, who, in its opinion, has so flagrantly abused, in any manner, his position, as such as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest or who has been guilty of habitual failure in the performance of his duties :

Provided that when the State Government proposes to take action under this section, it shall give the Chairperson or member an opportunity of explaining his conduct on account of which it is proposed to remove him, shall make such enquiry as it may consider necessary and shall, in the event of taking such action, place on record the reasons therefor.

(2) The State Government may place under suspension a member, or Chairperson against whom an inquiry relating to the abuse of his position as a member or Chairperson is pending before it or in a court of law, or under the orders of the State Government or the Board till final orders have been passed on the legal proceedings or the enquiry as the case may be. Such member or Chairperson shall not take part in any proceedings of the Board during the period of suspension.

**12. Duties of Chairperson.**-It shall be the duty of the Chairperson -

(a) unless provided otherwise by this Act or prevented by reasonable cause -

- (i) to convene and preside over all meetings of the Board, and
  - (ii) to control in accordance with any regulations to be made in this behalf the transaction of business at all meetings of the Board;
- (b) to superintend and control the financial and executive administration of the Board and bring to its notice any defects therein; and
- (c) to perform such other duties as are required of, or imposed on, him by or under this Act or rules made thereunder.

**13. Power of Board to require reports etc.-** (1) The Board may require the Chairperson to furnish it with -

- (a) any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter pertaining to the administration of the Board;
- (b) a report or explanation on any such matter; and
- (c) a copy of any record, correspondence, plan or other document which is in his possession or control as Chairperson or which is recorded or filed in the office of any servant of the Board.

(2) The Chairperson shall comply with every requisition made under sub-section (1) without unreasonable delay.

**14. Delegation by Chairperson of his powers and duties.-** (1)The Chairperson may empower, by general or special order, any member of the Board elected under section 15 to exercise under his control any one or more of his powers, duties or functions.

(2) An order by the Chairperson under sub-section (1) may lay down any conditions and impose any restrictions, in respect of the exercise of any power, the performance of any duty or the discharge of any function by such member.

(3) In particular, such order may lay down the condition that any order made in the exercise of a power conferred on him by sub-section (1) shall be liable to rescission or modification by the Chairperson upon appeal to him within a specified time.

**15. Duties of Board in absence of Chairperson.**-A person elected by the Board Members from amongst themselves shall -

- (a) during the vacancy in the office of the Chairperson or the incapacity or temporary absence of the Chairperson, perform any other duty or exercise any other power of the Chairperson; and
- (b) at any time perform any duty and exercise, when occasion arises any power, delegated to him by the Chairperson under section 14.

**16. Nomination of members in default of election.**-If the electoral body referred to in section 4 fails, by such date as may be prescribed to elect a member or to fill-up the vacancy, the State Government shall, on the recommendation of the Board, fill up such vacancy by nomination of a person qualified to be elected by such electoral body.

**17. Disqualifications for membership.**-A person shall be disqualified for being nominated or elected as, or for being a member of, the Board, if-

(a) he has been sentenced by a court to imprisonment for an offence involving moral turpitude or indicating, in the opinion of the Board, such a defect in character as would render the entry or continuance of his name in the register undesirable, the sentence not having been subsequently reversed in appeal or revision or remitted by an order which the State Government is empowered to make if it thinks it;

(b) the Board, after enquiry (at which an opportunity has been given to such person to be heard in his defence either personally or through a representative) has found him guilty, by a majority of two-thirds of the members present and voting at the meeting, of infamous conduct in any professional respect,

(c) he is an undischarged insolvent;

(d) he has been adjudged by a competent court to be of unsound mind;

(e) he is a dismissed servant of the State Government or of any local authority,

(f) he is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority;

(g) he holds any place of profit in the gift or disposal of the Board;

(h) being a legal practitioner he appears in any suit or proceeding, civil or criminal against the Board; or

(i) he has acquired, directly or indirectly by himself or by a partner any share or interest in any contract with by or on behalf of the Board.

**18. Notification of elections, etc.**-The name of every member or Chairperson of the Board elected or nominated under this Act and of every member, or Chairperson who has resigned under section 8 or vacated his office under section 10 or has been removed therefrom under section 11, shall be notified in the Official Gazette.

**19. Payment of allowances.**-There shall be paid to the members of the Board such travelling and daily allowances as may be prescribed

**20. Meetings of the Board.**-(1) The Board shall meet at its office at Jaipur or at such other place and at such time, and every meeting shall be convened in such manner, as may be provided by regulations made by the Board.

(2) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless four members are present.

**21. Chairperson of meeting.**-If at a meeting the Chairperson is not present the members present shall elect one from amongst themselves to be the Chairperson of the meeting and such Chairperson shall perform all the duties, and may exercise all the powers of the Chairperson of the Board while presiding at the meeting.

**22. Power of Chairperson of meeting to maintain order.-**

Where at a meeting of the Board any member or other person refuses to comply with any direction of the Chairperson ruling any business or matter out of order or otherwise regulating the conduct of members or of business or where any member or person wilfully disturbs the meeting the Chairperson may require that member or person to withdraw from the meeting and in the event of his omitting to do so, may employ against him such force as is necessary, or as in good faith he believes to be necessary, for the purpose of removing and excluding him from the meeting.

**23. Decision by Board.**-(1) All questions which may come before a meeting of the Board shall, unless otherwise provided in this Act or in the rules or regulations made thereunder, be decided by a majority of the votes of the members present and voting.

(2) In case of an equality of votes the Chairperson of the meeting shall have a second or casting vote.

**24. The minute book and resolutions.**-(1) The names of the members present and the proceedings held and resolutions passed, at a meeting of the Board shall be entered in a book to be called the minute book.

(2) The minutes shall be read out at the meeting or at the next following meeting and after being passed as correct by the members or a majority of them present at the reading, shall be certified as passed by the signature of the Chairperson of the meeting at which they are passed.

(3) A copy of the proceedings of every meeting of the Board shall within fifteen days from the date of the meeting be forwarded to the State Government or any other authority appointed by the State Government in this behalf.

**25. Establishment of Advisory Committee.**-(1) Subject to the rules made by the State Government for this purpose, the Board may, by a resolution in this behalf, appoint an Advisory Committee consisting of seven persons of whom three shall be the members of the Board and four co-opted members, for any purpose provided for in this Act and may appoint a Convenor who shall preside over the meetings of such Committee in the absence of the Convenor, the committee may elect any one of its members for this purpose.

(2) All questions at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting. In case of an equality of votes, the person presiding shall have a casting vote.

(3) No business shall be transacted at any meeting of the Committee when less than four members are present.

(4) Proceedings of every meeting of the Committee shall be laid before the Board which may take such action thereon as it deems necessary.

(5) The members of the Advisory Committee shall be paid such travelling and other allowances as may be payable to the members of the Board under section 19.

**26. Validity of proceedings.**-(1) No vacancy in the Board or in a Committee of the Board shall vitiate any act or proceedings of the Board or such committee.

(2) No disqualification of or defect in the election or nomination of, any person acting as a member of the Board or as the Chairperson or the person presiding at a meeting shall be deemed to vitiate any act or proceeding of the Board in which such person has taken part.

### **CHAPTER III**

#### **Staff and Registration**

**27. Registrar and other officers and servants of the Board.**-(1) The State Government shall appoint the Registrar of the Board.

(2) The Registrar shall be the Secretary and the executive officer of the Board.

(3) The Board may, with the prior approval of the State Government, appoint such other officers and servants as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

(4) All questions relating to the number, designations, pay and allowances, recruitment, promotions, leave, provident fund and other conditions of service of the officers and servants appointed under sub-section (3) shall be governed by rules made by the State Government.

(5) The Registrar and any other officer or servant appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

**28. Maintenance of register.** - (1) The First Board shall, within one and a half year of its constitution, prepare a register of Electropaths.

(2) The register shall be kept and maintained by the Board in such manner as may be prescribed.

**29. Duties of Registrar.**-(1) Subject to the provisions of this Act and subject to any general or special orders of the State Government or the Board, it shall be the duty of the Registrar to keep and maintain the register and discharge such other functions as are required to be discharged by him under this Act or by any rules or regulations made thereunder.

(2) The Registrar shall, so far as practicable, keep and maintain the register correct and up-to-date and may from time to time enter therein any material alterations in the addresses or qualifications of the registered Electropaths. He shall also remove from the register the names of the registered Electropaths who die or who cease to be qualified as such.

**30. Persons entitled to be registered.**-(1) Every person, possessing recognized medical qualifications shall, subject to the provisions of this Act, be entitled to have his name entered in the register.

(2) An application for registration shall be made to and disposed of by the Registrar.

(3) Every application for registration under sub-section (2) shall be made in such form and manner and be accompanied with such registration fee as may be prescribed by the Board.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Registrar regarding the registration of any person may within ninety days from the date of such decision or within such extended time as the Board may upon sufficient cause allow, appeal to the Board.

(5) Such appeal shall be heard and decided by the Board in the prescribed manner.

(6) The Board may on its own motion or on the application of any person and after calling for an explanation from the person concerned and considering the same, cancel or alter any entry in the register, if in the opinion of the Board, such entry was fraudulently or incorrectly made or obtained.

**31. Renewal of registration.**-(1) Every registered Electropath shall be entitled to practice for a period of three years from the date on which his name has been registered and if he desires to practice after the expiry of the said period, he shall, upon an application made to the Registrar along with a prescribed renewal fee for every period of three years, be entitled to the continuance of his name in the register.

(2) If the renewal fee is not paid before the due date, the registrar shall remove the name of the defaulter from the register:

Provided that the name so removed may be restored to the register on payment of the renewal fee in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

**32. Power of Board to recognise titles, etc. for purposes of registration.**-If the Board is satisfied that any title or qualification granted or certified by a University, medical institution, examining body or other institution in or outside India is sufficient guarantee that persons holding such title or qualification possess the knowledge and skill requisite for the efficient practice of Electropathy, it may recognize such title or qualification.

**33. Power of Board to call for information from institutions.**-The Board shall have power to call upon the governing body or authority of a University, medical institution, examining body or other institution, recognised or desirous of being recognized -

- (a) to furnish such reports, returns or other information as the Board may require to enable it to judge the efficiency of the instructions given therein in Electropathy; and
- (b) to provide facilities to enable a member of the Board deputed by it in this behalf to be present at the examination held by such University, medical institution, examining body or other institution.



**34. Information required from applicants for registration.**-Every person who applies to have his name entered in the register must satisfy the Registrar that he possesses recognized medical qualification and he must inform the Registrar of the date on which he obtained the such qualification and shall also furnish any other information required by the Registrar in order to enable him to discharge his duties under the Act.

**35. Entry of new titles and qualifications.**-If a person whose name is entered in the register obtains any title or qualification other than the title or qualification in respect of which he has been registered, he shall on payments of such fee as may be prescribed be entitled to have an entry stating such other title or qualification made against his name in the register, either in substitution for, or in addition to, any entry previously made.

**36. Powers of Board to prohibit entry in or to direct removal from the register.**- (1) The Board may prohibit the entry in, or order the removal from, the register of the name of any Electropath -

- (a) who has been sentenced by a court in India to imprisonment for an offence declared by the State Government to involve such moral turpitude as would render the entry or continuance of his name in the register undesirable; or
- (b) whom the Board or a committee of the Board specially authorised for the purpose, after enquiry at which an opportunity has been given to him to be heard in his defence and to appear either in person or by counsel and which may in the discretion of the Board, be held has found guilty of professional misconduct or other infamous conduct by a majority of at least two-thirds of the members present and voting at the meeting; or
- (c) who has been found by the Board or a Committee of the Board specially constituted for this purpose, after an enquiry and after giving the person concerned an opportunity of being heard, to have obtained registration fraudulently or by submitting false or forged

or incorrect document or on the basis of misrepresentation or by the use of deceitful and dishonest means.

(2) The name of any person against whom an order has been made under clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be entered or re-entered in the register, as the case may be, after six years from the date of such order.

**37. Notice of deaths and erasure of names from register.**-(1) Every Registrar of Death who receives notice of the death of a person whose name he knows to be entered in the register shall forthwith transmit by post to the Registrar of the Board a certificate of such death, signed by him and stating particulars of the time and place of death.

(2) On receipt of such certificate or other reliable information regarding such death, the Board shall erase the name of the deceased person to be erased from the register.

**38. Publication of names entered in the register.**-(1) The Registrar shall in every year and from time to time as occasions may require, on or before a date to be fixed in this behalf by the Board, cause to be published in the Official Gazette and in such other manner as the Board may specify, a full or supplementary list arranged in alphabetical order of the names for the time being entered in the register and setting forth -

- (a) the registered address and appointment held by or actual employment of each person whose name is entered in the register;
- (b) the registered titles and qualifications of each such person and the date on which each such title or qualification was granted or certified:

Provided that the Registrar shall from time to time get published in the Official Gazette the names of such registered Electropaths whose names have been duly removed from the register under any provision of this Act.

(2) In any proceeding it shall be presumed that every person entered in such list is a registered Electropath:

Provided that in the case of a person whose name has been entered in the register after the last publication of the list, a

certified copy signed by the Registrar of the entry of the name of such person in the register shall be evidence that such person is registered under this Act, and such certificate shall be issued free of charge.

#### **CHAPTER IV**

##### **Functions and Finances of the Board**

**39. Powers of the Board.**-The Board shall have the following powers namely:-

(i) to recognise and affiliate Electropathic educational or instructional institutions;

(ii) to prescribe courses of study and curricula for general instruction or special or refresher courses in institutions affiliated to the Board in such branches of the Electropathy as the Board may prescribe;

(iii) to hold examinations and to grant certificates to the persons who shall have pursued a course of study in an educational institution recognized by the Board as the Board may think fit;

(iv) to institute exhibitions and award medals thereat, to grant scholarships and medals to those who obtain high position at the Board's examinations or are poor and deserving, and with the sanction of the State Government, to grant scholarships for special study in research and manufacture of Electropathic medicines in any medical institution or a reputed firm that the Board may think fit, and to endow chairs of Electropathy in institutions affiliated to the Board as the Board may prescribe;

(v) to demand and receive from students such fees as may be prescribed for admission to the Board's examinations;

(vi) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the educational institutions affiliated to the Board and to make arrangements for promoting the health and general welfare of their students as the Board may prescribe;

(vii) to appoint examiners and publish the results of the examinations held by it as the Board may prescribe;

(viii) to suspend or withdraw the recognition of any institution which is not conducted in accordance with the conditions prescribed by this Act or the rules or regulations framed thereunder:

Provided that no such action shall be taken without affording the Committee or management of such an educational institution an opportunity of making such representation as it may deem fit;

(ix) to appoint, with the previous sanction of the State Government, Inspectors for the inspection of Electropathic dispensaries, hospitals and educational institutions in the State as the Board may prescribe;

(x) to promote study in the science of Electropathy and to publish Electropathic journals;

(xi) to establish or aid research institutions and to encourage scientific manufacture of Electropathic medicines in the State;

(xii) to be the Licensing, Quality and Controlling Authority of manufacturing of Electropathic Medicines and products as the Board may prescribe;

(xiii) to do such acts not inconsistent with the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder, as may be necessary for the furtherance of the objects of this Act;

(xiv) to appoint with prior approval of the State Government standing or ad-hoc Committees to delegate any of its powers and instructions to such Committees subject to any restriction and to make regulations for determining the procedure to be followed by such Committee.

**40. Budget.**-(1) The Board shall have prepared and laid before it at a meeting, to be held in every year before such date as may be prescribed a complete account of the actual and estimated receipts and expenditure for the year ending on the 31st day of March next following such date, together with a budget estimate of the income and expenditure of the Board for the year commencing on the first day of April next following.

(2) The Board shall at such meeting decide upon the appropriations and ways and means contained in the budget estimate and pass the budget which shall be submitted to the State Government or to such other authority as the State Government may by order direct within fifteen days from the date of the meeting in which the budget is passed.

(3) If the State Government is satisfied that adequate provision has not been made therein for giving effect to the provisions of this Act, it shall have the power to suggest such modifications as may be necessary to secure such provision and return the budget to the Board with its observations regarding the modifications to be made therein. The Board shall consider such observations and pass the budget with such modifications as it deems necessary.

(4) If in the course of a year the Board finds it necessary to modify the figures shown in the budget with regard to its receipts or to the distribution of the amounts to be expended for the purposes of this Act, a supplementary budget may be prepared, passed, submitted and modified in the manner provided in sub-sections (1), (2) and (3).

(5) As soon as may be after the first day of October every year, the revised budget for the year shall be framed and such revised budget shall, so far as may be, be subject to all the provisions of the foregoing sub-section applicable to a budget.

**41. Electropathic Fund.**-(1) *There shall be established a Fund to be called Electropathic Fund, hereinafter referred to as the 'Fund'.*

(2) *There shall be placed to the credit of the Fund -*

(a) *grants and loans received from the State Government;*

(b) *all fees received by the Board on account of registration of Electropaths and admission to the Board's examinations;*

(c) *contribution received from any local authority or any Electropathic association; and*

(d) *all sums received by or on behalf of the Board from sources other than those mentioned in the foregoing clauses.*

(3) *The Fund shall be applied for the purpose specified in this Act and for such other purposes and in such manner as may be prescribed.*

*(4) The expenses of the Board shall include the salaries and allowances of the Registrar and the staff appointed by the Board, the fees and allowances paid to the Chairperson and members of the Board, the expenses for the conduct of examinations and such other expenses as are necessary for carrying out the purposes of this Act.*

**42. Accounts and Audit.-** (1) The Board shall keep accounts and submit such statements to the State Government as may be prescribed.

(2) Accounts of receipts and expenditure of the Board shall be maintained for every financial year in such form as may be prescribed.

(3) All accounts kept and maintained by the Board shall be audited, as soon as may be after the end of each financial year, by the Examiner of Local Fund Audit for the State and the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) shall apply.

(4) The Board shall be bound to comply with all such directions as the State Government may think fit to issue after going through the audit report in respect of its accounts.

(5) The Board shall pay out of the Fund such sum as may be determined by the State Government by way of charges for audit.

## CHAPTER V

### Privileges of Electropaths

**43. Privileges of Electropath.-** Subject to the conditions and restrictions laid down under this Act regarding practice of Electropath by persons possessing recognised medical qualifications, every person whose name is for the time being borne on the Register shall be entitled according to his qualification to practice Electropathy in any part of the State and to recover in due course of law in respect of such practice any expenses, charges in respect of medicaments or other appliances or any fees to which he may be entitled but he shall not be entitled to use the term 'Doctor' or 'Dr.' with his name.

## CHAPTER VI

### Miscellaneous

**44. Appeals to State Government from decisions of Board.**-(1) An appeal shall lie to the State Government from every decision of the Board under this Act.

(2) Every appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months of the date of the communication of the decision sought to be appealed from.

**45. Control of Board by State Government.**- If at any time it shall appear to the State Government that the Board has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it by or under this Act or has failed to perform a duty imposed upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Board; and if the Board fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as may be fixed by the State Government in this behalf, the State Government may dissolve the Board and cause all or any of the powers and duties of the Board to be exercised and performed by such Administrator or other agency and for such period as it may think fit :

Provided that a new Board shall be constituted within one and a half year of such dissolution.

**46. Penalty on unregistered person representing that he is registered.**-If a person whose name is not entered in the register falsely pretends that it is so entered or uses in connection with his name or title any word or letters representing that his name is so entered, he shall, whether any person is actually deceived by such representation or not, be punishable, on conviction, with fine which may extend to twenty thousand rupees.

**47. Conferring, granting or issuing certificate, etc. by unauthorised person or institution.**- (1) No person other than an institution recognised by the Board under this Act shall confer, grant or issue, or hold himself out as entitled to confer, grant or issue, any certificate or other title or qualification stating or

implying that the holder, grantee or recipient thereof is qualified to practice the Electropathy system of medicine.

(2) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable, on conviction, with fine which may extend to twenty thousand rupees.

**48. False assumption of certificate, etc.**-Whoever voluntarily and falsely assumes or uses any title, description or any addition to his name implying that he holds certificate or other title or qualification conferred, granted or issued by any institution recognised by the Board under this Act or that he is qualified to practise the Electropathy system of medicine under the provisions of this Act shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to twenty thousand rupees.

**49. Penalty for practising in contravention of the Act.**- If after the commencement of this Act, any person, other than a registered Electropath, practises or holds himself out, whether directly or by implication, as practising or as being prepared to practise, the Electropathy system of medicine, he shall be punishable with fine which may extend to twenty thousand rupees.

**50.Mode of proof of Board's records.**- A copy of any proceeding, receipt, application, plan, notice, order, entry in a register or other document in the possession of the Board shall, if duly certified by the Registrar or other person authorised by the Board in this behalf, be received as prima facie evidence of the entry or document and shall be admitted as evidence thereof and of all the matters therein recorded in every case where, and to the same extent as the original entry or document would, if produced have been admissible to prove such matters.

**51. Rules.**-(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for any of the following matters, namely-

- (a) the time and place at which and the manner in which election shall be held under section 4;
- (b) regulation of elections under this Act;



- (c) the salary and allowances and other conditions of service of the Registrar and other staff;
- (d) the conduct and maintenance of correct minutes of meetings of the Board;
- (e) the manner in which vacancies shall be filled under section 9;
- (f) the accounts to be kept by the Board and the manner in which such accounts shall be audited and published;
- (g) the date before which a meeting shall be held for the passing of the budget;
- (h) the method and forms to be adopted in the preparation of the budget;
- (i) the returns, statements and reports to be submitted by the Board;
- (j) the forms of the register of Electropaths to be maintained under this Act;
- (k) the fees chargeable under this Act;
- (l) the manner in which appeals against the decisions of the Registrar shall be heard by the Board under section 30;
- (m) allowances payable to members of the Board and its Chairperson;
- (n) the remuneration to be paid to the Chairperson;
- (o) the furtherance of any object of the Board as a teaching or examining body.
- (p) maintenance of a patient register by Electropaths in the prescribed form;
- (q) delegation of powers by the State Government and by the Board;

- (r) the form of application for the grant of licence or permit under clause (xii) of section 39 and the particulars to be filled therein;
- (s) the conditions for the grant of licence, the renewal of licence and the fees payable therefor; and
- (t) the furtherance of any other objects of the Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**52. Regulations.**- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Board may frame regulations for regulating the following matters, namely:-

- (a) the conditions on which institutions may be affiliated or recognised for the purpose of granting recognized medical qualification;
- (b) the admission of students to the educational or instructional institutions affiliated to the Board;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to any certificate or other course and to the examinations of the Board and shall be eligible for certificates and other recognized medical qualification;
- (d) the conditions of residence of the students in the educational or instructional institutions affiliated to the Board and the levying of fees for such residence;
- (e) the number, qualifications and emoluments of teachers of the educational or instructional institutions affiliated to the Board;

- (f) the fees to be charged for courses of study in such institutions and for admission to the examinations;
- (g) the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct of examinations;
- (h) the time and place at which meetings of the Board shall be held:
- (i) the issue of notice convening such meeting;
- (j) the conduct of business thereat ;
- (k) the asking of questions by members of the Board at its meeting subject to such conditions and restrictions as may be provided in the regulations;
- (m) all other matters which may be necessary for the purposes of carrying out the objects of this Act.

(2) All regulations framed under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette.

**53. Bar to suit and other legal proceedings.**-(1) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government in respect of an act done in the exercise of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit or other proceeding shall be maintainable against the Board or any member or any officer or servant of the Board or any person acting under the direction of the Board or of the Chairperson or of any officer or servant of the Board in respect of anything done lawfully and in good faith and with reasonable care and attention under this Act or rules or regulations made thereunder.

**54. Savings.**-Unless otherwise expressly provided in this Act, no provision of this Act shall affect a medical practitioner other than an Electropath registered under this Act.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To recognise the Electropathy system of medicine and enable its formal practice, research, study, granting of qualifications and other related activities in the State, the Rajasthan Electropathy system of Medicine Bill, 2018 is proposed.

The Electropathy system was founded by Dr. Count Ceseare Mattei of Italy in the nineteenth century and is based on treatment of diseases by medicines made by the method of Spagyric Cohobation (repeated distillation) by which the life force of the plants are collected in the form of micro, macro and trace elements of the herbs. It is considered appropriate that the benefit of the system should reach to the general public by recognizing the system and also to make regulatory provisions for practice, education and research in the system.

The Bill seeks to achieve aforesaid objectives.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ]

**Minister Incharge.**

**laafo/kku ds vuqPNsn 207 ds [k.M ¼3½ ds v/khu**

**ekuuh; jkT;iky egksn; dh flQkfj'kA**

**¼izfrfyfi% la[k i- 2¼22½fof/k@2@2018 fnukad**

**08 ekpZ] 2018**

**izs"kd% dkyhpj.k ljQ] izHkkjh ea=h] izsf"kfr%**

**lfpo] jktLFkku fo/kku IHkk] t;iqj½**

Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 207 ds [k.M ¼3½ ds izlax esa] eSa] jktLFkku bysDV<sup>a</sup>ksiSFkh

fpfdRlk i)fr fo/ks;d] 2018 dks jktLFkku fo/kku lHkk  
esa fopkjkFkZ fy;s tkus dh flQkfj'k djrk gw;A

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

Clause 3 read with clause 41 of the Bill, if enacted, shall involve expenditure from the Consolidated Fund of the State which is estimated to the tune of Rs. 15.80 lakh as non-recurring and Rs. 15.93 lakh as recurring.

कालीचरण सराफ]  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules and the Board, to make regulations, with respect to matters noted against each such clause:-

**Clauses            With respect to  
State Government (Rules)**

- |       |   |
|-------|---|
| 9     | prescribing the period within which the vacancy of member or chairperson is to be filled by fresh nomination or election;         |
| 16    | prescribing the date by which the electoral body fails to elect the member or to fill up the vacancy;                             |
| 19    | prescribing travelling and daily allowances which shall be paid to the members of the board;                                      |
| 28    | prescribing the manner in which the register shall be kept and maintained;  |
| 30    | prescribing the form and manner in which application shall be made and the registration fee to be accompanied with;               |
| 31    | prescribing the manner and subject to the conditions under which renewal fee may be paid;   |
| 35    | prescribing the fee on payment of which person entitled to have entry of new titles of qualifications to be made in the register; |
| 41    | prescribing the manner in which the fund shall be applied;  |
| 42(1) | prescribing the keeping of accounts and submitting of statements by the Board;  |
| 42(2) | prescribing the form in which accounts of receipts and expenditure shall be maintained;   |
| 51    | generally to carry out the purposes of this Act;  |

**Board (Regulations)**

- |    |  |
|----|--|
| 52 | generally to carry out the purposes of this Act. |
|----|--|

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

**Minister Incharge.**





## राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन, चिकित्सा की उक्त पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
सचिव।

(कालीचरण सराफ] प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 13 of 2018**

**THE RAJASTHAN ELECTROPATHY SYSTEM OF  
MEDICINE BILL, 2018**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

A

*Bill*

*to provide for the constitution of a Board of Electropathy System of Medicine for the development and expansion of the Electropathy system of medicine in the State of Rajasthan, for the registration of practitioners of that system of medicine and for other matters connected therewith and incidental thereto.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

Prithvi Raj,  
**Secretary.**

(Kalicharan Saraf, **Minister-Incharge**)